

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-03, मेरठ।

UPME041307892022



Final Report/4857/2022

वाद संख्या 4857/2022
संजू बनाम विशाल आदि
मु०अ०सं०-265/2020
अ० धारा- 366 भा०दं०सं०
थाना-रोहटा, जिला मेरठ।

दिनांक-14.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मुकदमा अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा पर पूर्व में तामील बजात खास हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वह प्रकरण के संदर्भ में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं है। मेरे द्वारा केस डायरी व समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान अपहर्ता धारा 161 दं०प्र०सं० व अवलोकन बयान धारा 164 दं०प्र०सं० के आधार पर किसी अपराध का होना नहीं पाया गया है। अतः मुकदमा उपरोक्त की विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं० 01/2021 दिनांक 02.01.2021 को समाप्त की जाती है।

विवेचना में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी। उपरोक्त परिस्थिति में थाना रोहटा की पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु०अ०सं० 265/2020, अन्तर्गत धारा 366 भा०दं०सं०, थाना रोहटा, मेरठ में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 01/2021 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(सक्षम द्विवेदी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-03, मेरठ।
जे०ओ० कोड- 2453